तृतीय लोकवाणी चयन प्रक्रिया

लोकवाणी केन्द्र खोलने के लिये स्वीकृत आवेदक का सहमति पत्र

सेवा में, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी,मुजफ्फरनगर

मैं, , पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
नि0 , एतद्द्वारा ई-गवर्नेन्स सोसायटी, मुजफ्फरनगर द्वारा स्वीकृत लोकवाणी केन्द्र को खोलने के प्रस्ताव को ई-गवर्नेन्स सोसायटी द्वारा निर्धारित निम्न दिशा निर्देशों/शर्तो के अन्तर्गत स्वीकार करता हूँ/करती हूँ ।

1. मैं ई-गवर्नेन्स सोसायटी द्वारा जारी किये जाने वाले प्राधिकार पत्र के जारी होने के दिनांक से **15 दिन के अन्दर** अपना आवेदित वार्ड में ही लोकवाणी केन्द्र क्रियाशील करने के लिये बाध्य रहूंगा/रहूँगी ।
2. **उक्त अवधि में मेरा केन्द्र क्रियाशील ना होने पर सोसायटी को मेरा केन्द्र निरस्त करने का अधिकार होगा ।**
3. मैं कभी भी लोकवाणी संचालन के अधिकार को किसी अन्य को किराये पर देने/विक्रय/आऊट सोर्स नहीं करूंगा/करूंगी । यदि मुझे जिला प्रशासन/ई-गवर्नेन्स सोसायटी द्वारा ऐसे करते पाया जाता है तो सोसायटी मेरे केन्द्र के निरस्तीकरण तथा मेरे विरूद्ध अन्य सुसंगत कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगी ।
4. मैं स्वयं लोकवाणी केन्द्र का संचालन करूंगा/करूंगी । **मुझे कम्प्यूटर संचालन का पूर्ण ज्ञान है ।** मेरे केन्द्र से पंजीकृत सभी आवेदनों के लिये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
5. **मेरी असामायिक मृत्यु/गम्भीर अपंगता/जनपद छोड़ने/गुम होने/किसी अपराधिक केस में निरूद्ध होने की स्थिति में मेरा लोकवाणी केन्द्र के संचालन का अधिकार स्वतः ही निरस्त माना जायेगा ।**
6. **मेरी असामायिक मृत्यु पर मेरे विधिक उत्तराधिकारियों को लोकवाणी केन्द्र के संचालन को किसी प्रकार का स्वतः अधिकार नहीं होगा ।** ई-गवर्नेन्स सोसायटी, मु0नगर को ही मेरे लोकवाणी केन्द्र किसी एक उत्तराधिकारी के पक्ष में अनुमोदित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा ।
7. यद्यपि मेरे द्वारा अपराधी ना होने का शपथ पत्र लोकवाणी प्रार्थना पत्र के साथ जमा कराया जा चुका है तथापि यदि किसी प्रशासनिक जांच में मेरा अपराधी होना सिद्ध पाया जाता है तो ई-गवर्नेन्स सोसायटी को मेरा लोकवाणी केन्द्र व संचालन अधिकार निरस्त करने का अधिकार होगा ।
8. **लोकवाणी केन्द्र से होने वाली आय पर केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को निर्धारित सर्विस टैक्स/आयकर/स्थानीय टैक्स देने के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूँगी ।**
9. मैं लोकवाणी आवेदन फीस में प्राप्त होने वाले ई-गवर्नेन्स सोसायटी के अंश को नियमित रूप से सोसायटी के एकाऊन्ट में जमा कराने के लिये बाध्य रहूंगा/रहूँगी। यदि इसमें मेरे स्तर पर किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो ई-गवर्नेन्स सोसायटी/नोडल अधिकारी-ई-गवर्नेन्स को मेरे लोकवाणी केन्द्र तथा संचालन के अधिकार को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी ।
10. मैं जनसामान्य से प्राप्त आवेदनों का सुरक्षित रिकार्ड रखूंगा तथ उ0प्र0शासन/ई-गवर्नेन्स सोसायटी द्वारा निर्धारित प्रति आवेदन शुल्क प्राप्त करने के लिये बाध्य रहूंगा/रहूंगी ।
11. भविष्य में लोकवाणी संचालन ना करने की स्थिति में मैं अपने लोकवाणी केन्द्र को सरेन्डर/निरस्त करने की लिखित सूचना अपर जिलाधिकारी (वि0एवं रा0)/नोडल अधिकारी, ई-गवर्नेन्स, मु0नगर को देने के लिये बाध्य रहूंगा/रहूँगी ।
12. मैं, मेरे द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के साथ संलग्न निर्देशों/शर्तो के पालन के लिये भी बाध्य रहूंगा/रहूंगी ।
13. मै समय-2 ई-गवर्नेन्स सोसायटी/नोडल अधिकारी - ई-गवर्नेन्स, मु0नगर द्वारा लिखित/ई-मेल अथवा एस0एम0एस0 द्वारा जारी होने वाले दिशा निर्देशों के पालन के लिये बाध्य रहूंगा/ रहूंगी ।
14. **मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोकवाणी केन्द्र के लिये मेरी दुकान/स्थान किसी भी तरह से सरकारी अथवा स्थानीय निकाय की भूमि पर अतिक्रमित नही है और ना ही वह किसी प्रकार मेरे अवैध कब्जे में है । ना ही अतिक्रमण के सम्बन्ध में उस पर न्यायालय में कोई विवाद लम्बित हैं ।**
15. **मै इस ई-गवर्नेन्स सोसायटी मु0नगर के इस निर्देश से वाकिफ हूँ कि आवेदित वार्ड से अलग कही ओर मेरा लोकवाणी केन्द्र स्थापित/संचालित होना पाया जाने पर मेरा संचालन अधिकार निरस्त कर दिया जायेगा ।**

मैने एतद्द्वारा उपरोक्त 1 से 15 तक अंकित निर्देशों/शर्तो को अच्छी तरह पढ़ व समझ लिया है। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उक्त निर्देशों/शर्तो के पालन के लिये पूर्णत्या बाध्य रहूंगा/रहूंगी ।

सहमति कर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक- सहमति कर्ता का नाम -

स्थान - हाल पता -

मोबाईल नम्बर-

ई-मेल पता -